मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2016—2017

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

कल्याणकारी योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

निःशक्तजनों को सहायता राशि वितरण

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016—2017

माननीय मंत्री जी	श्री गोपाल भार्गव
माननीय राज्य मंत्री जी	श्री संजय पाठक

मंत्रालय

प्रमुख सचिव	श्रीमती नीलम शमी राव
अपर सचिव	श्री पन्नालाल सोलंकी

विभागाध्यक्ष

आयुक्त	श्रीमती नीलम शमी राव
संचालक म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन	श्री रघुराज एम.आर.

दिव्यांग अनुभूति पार्क– जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी 1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....3
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना 4
4. विभाग के दायित्व.....7
5. विभागीय कार्यक्रम.....8

भाग – दो

6. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....12

भाग – तीन

7. उपलब्धियां 18
8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण
   - निःशक्त कल्याण 23
   - सुधारात्मक सेवाएं 35
   - सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....41
   - नशामुक्ति 48
   - कलापथक 49
9. मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम–2010 50
10. आयुक्त निःशक्तजन 52
11. मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग 53
12. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग 55
13. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 56

भाग – चार

14. सामान्य प्रशासनिक विषय 60
    - संसदीय कार्य
    - विधि विषयक कार्य
    - सूचना का अधिकार, पदोन्नति,नियुक्ति,विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण
    - घोषणा
15. आयोजित विभिन्न कार्यक्रम.....64
16. सारांश 68
17. विभागीय साहित्य मुद्रित.....68
18. परिशिष्ट 69

भारत एवं इंग्लैण्ड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट मैच
इंदौर दिनांक 2 फरवरी 2017 (भारत विजय)

भाग - 1

सामूहिक विवाह कार्यक्रम – माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।

निःशक्तजनों को सहायक उपकरण वितरण – माननीय श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं माननीय श्री गोपाल भार्गव,मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	**(हजार वर्ग कि.मी.) 308**
प्रशासन	
संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	44
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाऐं	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	81
डे–केयर सेन्टर	82
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	16
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाऐं	330
प्रशासकीय इकाई	
संभाग	10
जिले	51
कुल तहसील	367
राजस्व अनुभाग	218
विकास खण्ड/जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड/जनपद	89
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	22,824
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	264
जनसंख्या (जनगणना 2011) (हजार में)	
कुल जनसंख्या	72,627
पुरुष	37,614
महिला	35,015
ग्रामीण	52,557
शहरी	20,070
अनुसूचित जाति	11,342
अनुसूचित जनजाति	15,136
कार्यशील जनसंख्या (जनगणना 2011)_(हजार में)	
कुल कर्मी	31574
दीर्घकालिक कर्मी	22702
निःशक्तजन	1560

दीर्घकालिक कर्मी जनसंख्या	22702
अ. काश्तकार	8215
ब. खेतिहर मजदूर	6631
स.पारिवारिक उघोग में लगे कार्यशील	647
द. अन्य कार्यशील	7209
अल्पकालिक कर्मी जनसंख्या	8872
गैर कार्यशील जनसंख्या	41,053

(सौजन्य से– मध्यप्रदेश शासन की डायरी वर्ष 2017)

निःशक्तजनों संबंधी आंकडे स्पर्श अभियान–2011

निःशक्तजनों की जनसंख्या		810 (हजार में)
निःशक्त	पुरुष	544
	महिला	265
ग्राम/शहर	ग्रामीण	654
	शहरी	155
निःशक्त श्रेणी	1. अस्थिबाधित	417
	2. दृष्टिबाधित	134
	3. श्रवणबाधित	85
	4. मंदबुद्धि बहु विकलांग	174

विभागीय निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्था		20
जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र	केन्द्र शासन	23
	राज्य शासन	27

विभाग के अन्तर्गत महत्वपूर्ण दिवस

दिवस	दिनांक
मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अर्न्तराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस	31 मई
अर्न्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार पुर्नगठन हुआ है जिसके तहत एक–एक दायित्व अन्य विभागों को सौपा गया है या नया विभाग गठित किया गया है, जो निम्न तालिका में वर्णित है।

क्रमांक	वर्ष	पुर्नगठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	सामाजिक न्याय संचालनालय से स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को हस्तांतरित। जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य वित्त विभाग को सौंपा गया ।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्य सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया ।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है ।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी ,सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :– संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागो में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं जिलो में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में निम्न संस्थाएं/आयोग संचालित हैं –

- मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
- मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग
- मध्यप्रदेश राज्य मध्यम वर्ग कल्याण आयोग
- आयुक्त निःशक्तजन कल्याण
- मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर

प्रमुख सचिव
अपर सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त

- अपर संचालक 1
- संयुक्त संचालक 3
- मिशन संचालक मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
  - उप मिशन संचालक, 3
- उप संचालक 4
- सहायक संचालक संवर्ग 17
  - सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2
  - परिवीक्षा अधिकारी 2
  - प्रोग्रामर 1
  - सहायक प्रोग्रामर 2

संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक– 7

जिला स्तर

उप संचालक–44
सहायक संचालक –28
शासकीय संस्थाएं–21

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत
समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी–427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आयोग/अन्य कार्यालयों का ढांचा

मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

⇩

अध्यक्ष

⇩

उप सचिव

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण

⇩

आयुक्त

⇩

उप संचालक

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

⇩

अध्यक्ष

⇩

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग

⇩

अध्यक्ष

⇩

उपाध्यक्ष

⇩

सदस्य

⇩

सचिव

मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग कल्याण आयोग

⇩

अध्यक्ष

⇩

सदस्य

⇩

सचिव

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की जाती हैं :–

- **निःशक्त कल्याण**
- **सुधारात्मक सेवाएं**
- **सामाजिक सहायता**
- **अन्य कार्यक्रम**

निःशक्त कल्याण

निःशक्त कल्याण योजनान्तर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं ।

सुधारात्मक सेवाएं

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है ।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है। वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन।

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के नियम 2013 का क्रियान्वयन ।

———————

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
2. बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
5. अंत्येष्टि सहायता
6. आम आदमी बीमा/जनश्री बीमा योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
8. मुख्यमंत्री निकाह योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. निः:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
11. निःशक्तजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं
12. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस,निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
14. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
15. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
16. मुख्यमंत्री बालश्रवण योजना (सितम्बर 2014 से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित)
17. निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक
19. वृद्धाश्रमों का संचालन/डे–केयर सेंटर/शतायु सम्मान

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- सामाजिक सुरक्षा
  - पेंशन
  - विवाह
  - अन्त्येष्टि सहायता
  - अनुग्रह सहायता
  - बीमा

अन्य कार्यक्रम

- अंत्योदय मेलों का आयोजन
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन–जागरुकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला विकलांग तथा पुर्नवास केन्द्रों का संचालन
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा संचालित ऋण योजनाएं
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- डी.डी.आर.एस. योजना का संचालन
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
- विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार
- सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ठ पुरस्कार योजना

———————

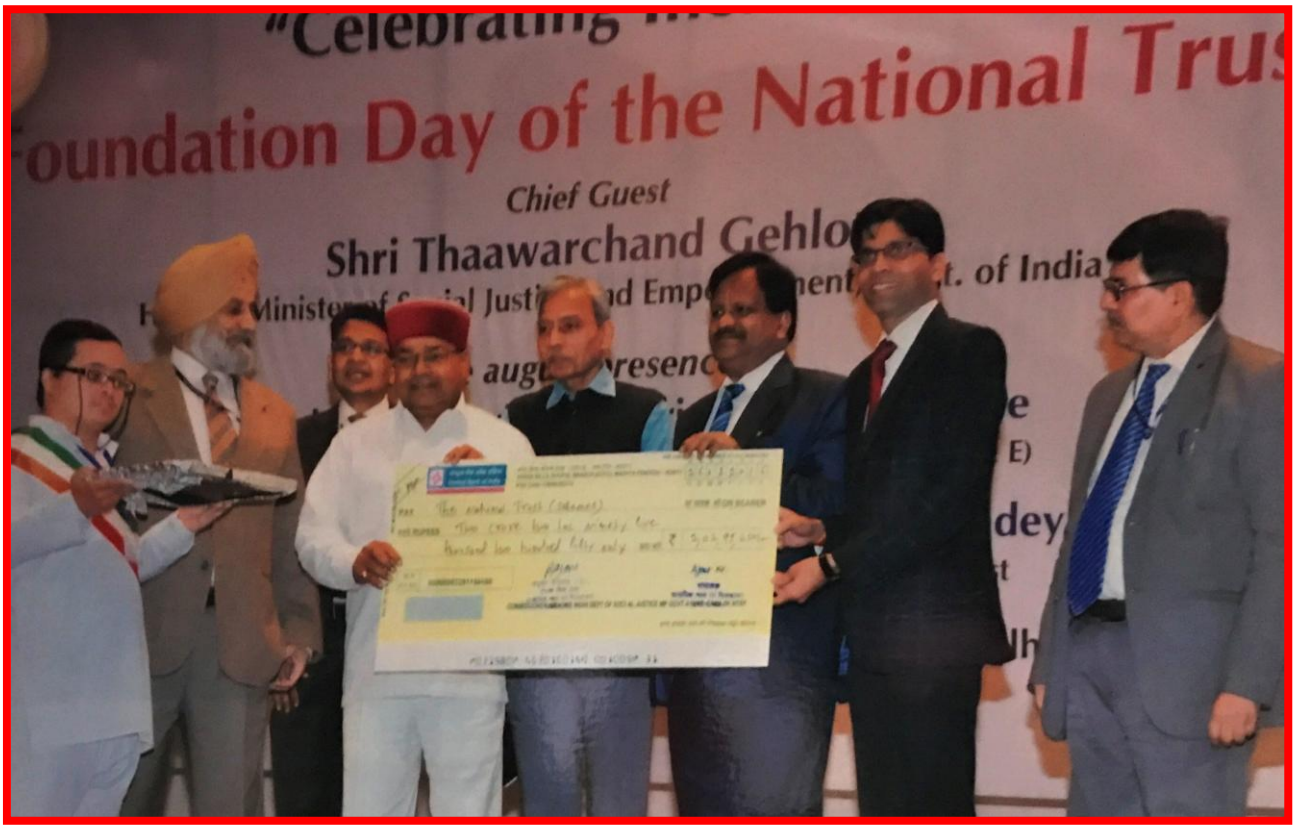

निरामय स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क बीमा हेतु राष्ट्रीय न्यास को प्रीमियम राशि का चैक देते हुये तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्री व्ही.के. बाथम

निःशक्तजनों को आईटीआई में प्रवेश पत्र देते हुये माननीय श्री गोपाल भार्गव, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2016–17

(राशि लाख रू. में)

शीर्ष/योजना	कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुमान सहित)	व्यय (जनवरी 2017 तक)
आयोजनेत्तर		
मांग संख्या 34–2235	7095.26	4167.69
मांग संख्या 74–2235	585.00	330.64
मांग संख्या 34/74 (सामान्य)	**7680.26**	**4498.33**
आयोजना		
मांग संख्या 34–2235	19604.81	8805.90
मांग संख्या 74–2235	54684.00	41112.85
मांग संख्या 75–2235	19819.02	13770.98
मांग संख्या 34/74/75 (सामान्य)	**94107.83**	**63689.73**
आयोजना		
अनुसूचित जनजाति उपयोजना		
मांग संख्या 41–2235	18869.04	7143.32
मांग संख्या 52–2235	26726.80	19266.24
योग 41/52 अनु.जनजाति उपयोजना	**45595.84**	**26409.56**
आयोजना		
अनुसूचित जाति उपयोजना		
मांग संख्या 15–2235	19285.18	15851.63
मांग संख्या 64–2235	14023.43	8047.08
योग 15/64 अनु.जाति उपयोजना	**33308.61**	**23898.71**
योग आयोजना	**173012.28**	**113998.00**
योग आयोजनेत्तर/आयोजना	**180692.54**	**118496.33**

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :–

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा, परित्यक्त महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत–प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यो मे कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दो पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत–प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग की योजनाओं हेतु पृथक से कोई केस स्टडी नहीं की गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनायों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत–प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार योजनायें निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष	जेंडर बजट का प्रतिशत	संभावित हितग्राही
	प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)			
	6692–मुख्यमंत्री निकाह योजना	1000.00	100	1916
	6710–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	17152.01	100	38798
	5863–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	39000.00	100	978716
	द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)			
	5859–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	6200.00	40	115246
	6690–माता पिता भरण पोषण योजना	10.00	40	200
	7084–राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	7000.00	40	34517
	8786–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	54159.00	40	1611598
	9142–सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	33460.36	40	637757
	0073–अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	1580.00	40	-
	0075–अंध मूक बधिरों को वृत्तियॉ	1260.00	40	-
	5247–आम आदमी बीमा योजना	0.02	40	2000
	5614–जनश्री आदमी बीमा योजना	1900.00	40	19000
	6693–कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	40	40104
	तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)			
	4564–सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	30	-
	6694–कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	200.00	30	2852
	7083–अंत्येष्टि योजना	100.00	30	1646

———

विभागीय संचालित योजनाओं में बंटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2016–17

आयोजना (राशि लाख में)

क्र	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष	स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग को दिया गया बंटन	पुनर्विनियोजन	अनुपूरक में प्राप्त आवंटन	अनुपूरक/पुनर्विनियोजन सहित कुल प्रावधान	व्यय (जनवरी 2017 तक)	प्रतिशत
1	{0075}	अंध मूक बधिरो को वृत्तिया	1260.00	504.00	0.00	0.00	1260.00	47.19	3.75
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओ को अनु. 002	1580.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	628.87	39.80
		बहु विकलांग को सहायता–007	3647.43	0.00	0.00	500.00	4147.43	3154.27	76.05
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	36.55	71.67
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	44000.00	0.00	0.00	10159.00	54159.00	40259.67	74.34
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	6574.86	93.93
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	39000.00	0.00	0.00	0.00	39000.00	27966.58	71.71
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	6200.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	4157.20	67.05
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	17152.01	0.00	0.00	0.00	17152.01	8263.94	48.18
9	{5442}	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	10.00	0.00	300.00	0.00	310.00	0.00	0.00
10	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेशन	25132.63	0.00	0.00	8327.73	33460.36	20329.26	60.76
11	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्या.के वेतन भत्ते	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	6.12	37.43
12	{4564}	सुधारात्मक सेवाओ के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.05	1.00
13	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
14	{5758}	कुशाभाउ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
15	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	300.00	0.00	-155.00	0.00	145.00	43.71	30.14
16	{5247}	आम आदमी बीमा योजना	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
17	{5614}	जनश्री बीमा योजना	0.02	0.00	0.00	1900.00	1900.02	0.00	0.00
18	{0079}	दृष्टि एवं श्रवण बाधि.शालाये संस्थाये(वेतन भत्ते)	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	247.54	55.01
19	{0831}	कर्मचारी मुख्यालय वृन्द वेतन भत्ते	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	9.79	41.31
20	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21	{6686}	वृद्वजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.16	26.33
22	{6687}	सामाजिक न्याय भवन एवं न्याया.भवन का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रो की स्थापना	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
24	{6689}	विकास खण्ड हेतु नवीन पदो का सृजन	500.00	0.00	-145.00	0.00	355.00	0.00	0.00
25	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.74	17.40
26	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
27	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	303.28	30.33
28	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	1731.33	69.25
29	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	137.73	68.87
30	{8808}	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
31	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.16	41.16
32	{7360}	राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	54.00	67.50
33	{7435}	मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
34	{1280}	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड./बी.पी.एड	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00
36	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	973.88	0.00	0.00	0.00	973.88	0.00	0.00
		योग	152125.55	504.00	0.00	23767.69	173012.26	113998.00	65.89

विभागीय संचालित योजनाओं में आबंटन एवं व्यय वर्ष 2016–2017
आयोजनेत्तर

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का क्रमांक एवं नाम	बजट प्रावधान	व्यय (जनवरी 2017 तक)	प्रतिशत
	मांग संख्या–34			
1	2304–निर्देशन और प्रशासन	3342.92	2188.45	65.56
2	4518–साहित्य का उत्पादन	5.25	0.00	0.00
3	5663–निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	58.37	26.48	49.06
4	6584–अंत्योदय मेलो का आयोजन	1000.00	320.17	32.02
5	0073–अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	120.00	5.00	4.63
6	0079–दृष्टि श्रवण बाधित संस्थायें	1160.25	785.48	67.78
7	3098–भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर	37.34	18.77	50.27
8	0795–कलापथक	1005.30	586.97	58.40
9	1985–दूरदर्शन कार्यक्रम	338.83	224.87	66.37
10	5258–भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	16.00	9.71	67.43
11	5845–राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण	11.00	1.79	16.27
	योग मांग संख्या–34	**7095.26**	**4167.69**	**58.94**
	मांग संख्या–74			
12	2245–नशाबंदी कार्यक्रम	400.00	291.22	80.89
13	0075–अंध मूक बधिरो को वृत्तियॉ	185.00	39.42	21.31
	योग मांग संख्या–74	**585.00**	**330.64**	**60.67**
	कुल योग मांग संख्या–34+74 (आयोजनेत्तर)	**7680.26**	**4498.33**	**59.06**

भाग - 3

CAT-3-39

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2016-2017

राज्य पेंशन पोर्टल - ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा योजना प्रबंधन प्रणाली, मध्य प्रदेश

को

ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग

के लिए

स्वर्ण पुरस्कार

प्रदान किया जाता है

Government of India

National Award for e-Governance, 2016-2017

Gold Award

presented to

State PENSION Portal - Online Social Security Schemes Management System, Madhya Pradesh

for

Innovative Use of Technology in e-Governance

सी. विश्वनाथ / C. VISWANATH

सचिव / Secretary

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

उपलब्धियां वर्ष 2016–17

नेशनल ई–गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17

सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं यथा वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्तजनों को उनकी पात्रता अनुसार सरलीकृत प्रक्रिया से पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किये गये **"म.प्र. स्टेट पेंशन पोर्टल"** को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिये वर्ष 2016–17 का **नेशनल ई–गवर्नेंस का उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण)** प्राप्त हुआ। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के तत्वावधान में विशाखापट्नम में आयोजित 20वीं ई–गवर्नेंस कॉफ्रेंस में माननीय श्री पी.पी. चौधरी, राज्य मंत्री, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिनांक 10 जनवरी 2017 को विशाखापट्नम में प्रदत्त किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17

'विकलांग व्यक्तियों हेतु बाधामुक्त वातावरण – जिला इंदौर'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किये गये उत्कृष्ठ कार्य का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री पी. नरहरि, कलेक्टर, इंदौर द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

'पुर्नवास सेवाएं प्रदाय करने हेतु सर्वोत्तम जिला – जिला जबलपुर '

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली पुर्नवास सेवाएं उपलब्ध कराने में सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 जिला जबलपुर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17

'पुर्नवास सेवाएं प्रदाय करने हेतु सर्वोत्तम जिला – जिला झाबुआ'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पुर्नवास सेवाएं उपलब्ध कराने में सर्वेश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 जिला झाबुआ को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री आशीष सक्सेना, कलेक्टर जिला झाबुआ मध्यप्रदेश द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट अधिकारी– श्री भरत सिंह गौर'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट अधिकारी की श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 श्री भरत सिंह गौर, अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर परीक्षण संस्थान, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को प्रदान किया गया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया।

'दिव्यांग व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था '

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा द्वारा निःशक्तता के क्षेत्र में किये गये कार्य 'दिव्यांग व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था की श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार श्री पंकज मारु, स्नेह नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र. को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में को प्रदत्त किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17

'वृद्धजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य हेतु वयोश्रेष्ठ सम्मान– जिला झाबुआ'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वृद्धजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य हेतु वयोश्रेष्ठ सम्मान का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 जिला झाबुआ को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री अनुराग चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ, म.प्र. द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

'वृद्धजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य हेतु वयोश्रेष्ठ सम्मान– नगर निगम रीवा'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वृद्धजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य हेतु वयोश्रेष्ठ सम्मान का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016–17 नगर निगम रीवा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदत्त किया गया। श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम रीवा, म.प्र. द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

विभागीय कार्यक्रम

निःशक्त कल्याण

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 प्रदेश में प्रभावशील है।

अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुर्नवास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

शासकीय संस्थाओं का संचालन

प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु 20 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

- दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर 1
- श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर 1
- दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, सागर, खरगोन,ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, इन्दौर 7
- अस्थिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्दौर और बैतूल 2
- मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह इन्दौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, भोपाल 7
- राज्य निःशक्तजन कल्याण संस्थान जबलपुर 1
- राजकीय वयस्क श्रवण बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान इन्दौर 1

(संस्थाओं की सूची परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है।)

कुल 20

वर्ष 2016–17 में इन संस्थाओं के संचालन हेतु रु. 1610.25 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा इनके माध्यम से जनवरी 2017 तक 1987 निःशक्तजन लाभान्वित हुए एवं रु. 1033.02 लाख व्यय हुआ।

जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र का संचालन

शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को समग्र पुनर्वास की कार्ययोजना के तहत जिला स्तर पर जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा म0प्र0 में 23 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र यथा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, सीहोर, राजगढ, विदिशा, छिंदवाडा, बालाघाट, सागर, दमोह, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रीवा, सतना एवं जबलपुर में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों से प्रदेश के निःशक्तजन लाभान्वित हो रहे हैं ।

उपरोक्त केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 27 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र यथा जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, धार, बडवानी, टीकमगढ़, सीधी, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, भोपाल, सिंगरोली एवं अलीराजपुर में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये हैं । इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के निःशक्तजन लाभान्वित हो रहे हैं ।

जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में 330 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनांतर्गत 41 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का वितरण, शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2016–17 में रूपये 1700.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 693.87 लाख व्यय किया गया। जनवरी 2017 तक 3630 निःशक्त बच्चों को लाभांवित किया गया है। (संस्थाओं की सूची परिशिष्ट दो पर उपलब्ध है।)

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में निःशक्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित सहायक अनुदान के 33 प्रस्ताव रू. 432.99 लाख स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2016–17 में रूपये 14.40 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से जनवरी 2017 तक 166 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

प्रदेश में कक्षा पहली से उच्च शिक्षा स्तर तक नियमित रूप से अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

निःशक्त (विद्यार्थियों) को छात्रवृत्ति दरें

क्र.	स्कूल का स्तर	कक्षा	दर	दस माह हेतु
1.	प्राथमिक एवं मिडिल स्तर	1 से 8 तक	रू0 50/–	रू0 500/–
2.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/आईटीआई	9 से 12 तक	रू0 100/–	रू0 1000/–
3.	स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्नीक	सभी संकाय को एक समान	रू0 200/–	रू0 2000/–

दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता

क्र.	स्तर	दर	दस माह हेतु
1.	स्नातक/पॉलीटेक्नीक	रू0 100/–	रू0 1000/–
2.	स्नातकोत्तर	रू0 125/–	रू0 1250/–
3.	तकनीकी पाठ्यक्रम	रू0 150/–	रू0 1500/–

प्रोत्साहन राशि

परीक्षा का स्तर	नियमित प्रवेश	प्रोत्साहन राशि
कक्षा 8वीं	कक्षा 9वीं	रू0 2500/– एकमुश्त
कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	
कक्षा 12वीं	स्नातक(किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर)	रू0 3000/– एकमुश्त

छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी :–

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत् हो।
2. 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
3. उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 20 जून 2013 से प्रारंभ की गई है।

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
मंदबुद्धि	लेपटाप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही	स्नातक/पोलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
दृष्टिबाधित	——''——	——''——	——''——
श्रवणबाधित	——''——	——''——	——''——
अस्थिबाधित (दोनो हाथ न होने पर)	——''——	——''——	——''——
अस्थिबाधित (दोनो पैरों से चलने में अक्षम)	मोट्रेट ट्रायसिकल	——''——	——''——

पात्रता के मापदण्ड

(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

(2) अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40% से अधिक, श्रवण बाधित 40% से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(4) स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।

मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता परिवहन भत्ता योजना

राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से मध्यप्रदेश निवासी निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/– प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के माध्यम से किया जाता है ।

निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं, जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 5 छात्र के लिए निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका व्यय भार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। यह योजना दिनांक 8.9.2008 से प्रभावशील है।

नोट :– निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजना में पात्रता के मापदण्ड में आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य 2–2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं, 2–2 श्रवण बाधित एवं 2–2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात् कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना 12.8.2008 से प्रभावशील की गई है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त अभ्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन के लिए ''**सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2008**'' दिनांक 8.8.2008 से प्रारंभ की जाकर प्रभावशील है। उक्त योजना में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20000/–मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30000/– तथा अंतिम चयन होने पर रूपये 20000/– प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995) की धारा 42 में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः निःशक्त व्यक्ति की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि उपब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उनकी कार्यक्षमता बढाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जिसमें ट्राईसाइकिल, वैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र आदि है।

निःशक्त पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को भारत सरकार द्वारा रु0 300/– प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है। 80 वर्ष एवं अधिक आयु के निःशक्त को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हैं, उनको प्रतिमाह रुपये 300/– की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रुप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति को रूपये 500/–(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन में दंम्पत्ति में कोई एक के निःशक्त होने पर रू. 50,000/–(रुपये पचास हजार) एवं दोनों के निःशक्त होने पर रू. 1,00,000/–(रुपये एक लाख) एक मुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय जिले में संग्रहित निराश्रित निधि से किया जाता है। यदि निःशक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रू. 25,000/– अतिरिक्त सहायता/सामग्री दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12–8–2008 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत ऐसे बच्चे, जिनमें जन्म से अथवा जन्म के बाद श्रवण क्षमता नहीं होने के कारण सुनने और बोलने में असमर्थ होते हैं, उनमें सुनने और बोलने की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना 2013"** प्रारंभ की गई है।

योजनांतर्गत बच्चे की आयु 1 से 5 वर्ष की हो, चिकित्सक की सलाह पर 5 से 7 वर्ष तक। ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उनकी श्रवण शक्ति मस्तिषक ज्वर के प्रभाव से समाप्त हो गई है, को चिकित्सक की सलाह तथा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अधिकतम सीमा रुपयें 8 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयकर दाता न होने की शर्त रखी गई है।

उक्त योजना सितम्बर 2014 से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई है।

निःशक्तजनों हेतु हेल्प लाईन

निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से टोल फ्री दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800–233–4397 निरंतर संचालित है, जिसमें **1,90,158** (जनवरी 2017 की स्थिति में) निःशक्तजन लाभांवित हुये।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राही

(जनवरी 2017 की स्थिति में)

क्रमांक	योजना	हितग्राही
1	छात्रवृत्ति	46517
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना • लेपटाप वितरण • मोट्रेट साईकिल वितरण	 64 49
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	64
4	छात्रगृह योजना	174
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	26
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	16300
7	निःशक्त पेंशन	112987
8	मानसिक एवं बहुविकलांग को सहायता	60226
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	817

निःशक्त विवाह

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.55
2014–15	779	214.50
2015–16	1058	599.50
2016–17 (जनवरी 2017)	817	507.00

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

आटिज्म (Autism), सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), मेन्टल रिटारडेशन (Mental Retardation), मल्टीपल डिसेब्लिटी (Multiple Disabilities) के निःशक्तजनों हेतु निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिसमें 1 लाख रुपये के बीमा की सुविधा है। प्रदेश के 55,731 बहुविकलांग निःशक्तजनों के निरामय बीमा कराया जाकर निरामय स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। बीमा प्रीमियम की राशि रुपये 2.03 करोड़ राज्य निराश्रित निधि से एकमुश्त राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है।

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में रूपये 45.90 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर निःशक्त बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

स्पर्श अभियान

निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुर्नवास के लिए वर्ष 2011 से स्पर्श अभियान का निरन्तर क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्पर्श अभियान के तहत प्रथम चरण में निःशक्त व्यक्तियों के सर्वे में लगभग 8 लाख से अधिक निःशक्त पाये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पोर्टल पर समस्त निःशक्तजनों का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

स्पर्श पोर्टल

http://sparsh.samagra.gov.in/

http://socialjustice.mp.gov.in

शल्य चिकित्सा शिविर

स्पर्श अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2016–17 में जिला विदिशा में **452 दिव्यांगजनों का सर्जरी** हेतु परीक्षण कर ऑपरेशन निःशुल्क कराया। जिसमें **62** निःशक्त बच्चें भी सम्मिलित थे।

कौशल विकास प्रशिक्षण

स्पर्श अभियान के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु **178 दृष्टिबाधित** तथा **230 श्रवण बाधितों** को इस प्रकार कुल **408 निःशक्तजनों** को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में श्रवण बाधितों हेतु **12 Interpreters** की व्यवस्था की गई।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फेशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

स्पर्श दिव्यांग रोजगार मेला

दिव्यांगजनों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्राईवेट कम्पनियों के साथ समन्वय कर इंदौर में 13 जनवरी 2016 को वृहद् रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 94 कम्पनी के द्वारा 489 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 264 दिव्यांगजनों को ऑफर लेटर प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद द्वारा निःशक्तजन छात्र/छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, युवा स्वावलंबन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स के लिए स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आबंटन किया जाता है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उज्जैन में क्षेत्रीय केन्द्र सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जाना है, इस हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जाकर आबंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। मध्यप्रदेश के निःशक्तजनों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु रोजगारोन्मुखी ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

ब्रेल प्रेस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दृष्टिबाधित निःशक्तजनों हेतु हैवी डयूटी एण्ड हाई स्पीड कप्यूजटराईज्ड ब्रेल प्रिन्टर 2000 पीपीएच एवं 1000 पीपीएच मशीन की स्थापना सितम्बर 2002 में अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विधालय, भोपाल में प्रतिष्ठापित की गई है। वर्तमान में ब्रेलप्रेस के माध्यम से दृष्टिबाधित हेतु मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र (कक्षा 1 से 8 तक), पाठ्यपुस्तक निगम (कक्षा 9 से 12 तक) की सभी विषयों की पुस्तकें मुद्रित करायी जाकर वितरित की जा रही है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल की अंकसूची ब्रेल प्रेस द्वारा मुद्रित की गई।

धर्म दर्शन की पृष्ठभूमि से खजुराहो मूर्तिकला एक परिचय का ब्रोसर, लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर एवं साईनेज पेपर इत्यादि को ब्रेल प्रेस द्वारा मुद्रित किया गया।

———————

सुधारात्मक सेवाऐं

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 वर्तमान में इन्दौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील है। इसके अन्तर्गत एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल 27 भिक्षुकों को लाभांवित किया गया।

निराश्रित निधि

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के तहत म0प्र0 निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम संशोधित 2013 बनाये गये हैं । अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उपज पर क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

- **(नियम 3) में उपनियम (5)** निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 अनुसार निःशक्तता की परिभाषा पूर्व से है। इसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित निःशक्तता आर्टिज्म, सेरेब्रलपाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एवं मेंटल रिटार्डेशन को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही विधवा/ परित्यक्ता तथा 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ निराश्रित बच्चो को भी जोड़ा गया है ।
- **(नियम 5) में उपनियम (3)** अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा तथा सरकार के पक्ष में न्यूनतम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी ।
- **(नियम 6) (4)** भवन निर्माण में कलेक्टर को रु0 5 लाख तक तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को ₹ 1 करोड़ (एक करोड़) की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित है ।

- **नियम–6 (5)** भवन निर्माण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।
- **नियम–6 (6)** भवन के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राजधानी परियोजना प्रशासक/म0प्र0 गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मंडल को सम्मिलित किया गया है ।
- **(नियम 8) (2)** वृद्धाश्रम/विशेष शालाओं की स्थापना करते समय कलेक्टर फर्नीचर, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन, टी.व्ही. के फर्नीचर आदि की स्वीकृति दे सकेगा तथा 5 वर्ष पश्चात पुनः स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।
- **(नियम–8) (3)** आश्रम में निवासरत अंतःवासियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में ₹ 20,000/– (बीस हजार) की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी।
- **(नियम 10) (4)** प्रयोजक को बिजली, पानी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- **(नियम 10) (7)** कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर किसी अंतःवासी के इलाज पर अधिकतम ₹ 5,000/– प्रतिवर्ष व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।
- **नियम 11(ख)** सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत म0प्र0 राज्य बीमारी तथा स्थायी निःशक्तता निधि के अंतर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलेक्टर द्वारा ₹ 5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।
- **नियम 11 (ठ) नियम 3** में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट जैसे, एक्स–रे, सी.टी.स्केनिंग, एम.आर.आई, एंजियोग्राफी, टी.एम.टी., इको– कार्डियोग्राफी के लिये ₹ 10,000/–स्वीकृत कर सकेगा ।
- **नियम (12) (1)** जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय नियम 11 के खण्ड (घ) के प्रयोजन हेतु ₹ 10,000/– एक माह में तथा वार्षिक ₹ 1.00 लाख व्यय के अधिकार ब्याज की राशि से दिये है ।
- **(नियम 13) (1) में प्रतिस्थापित किया गया है –** आश्रम के अंतःवासियों की अंत्येष्ठी संस्कार हेतु 2000/– की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा।

- **(नियम 13) (2)** ऐसे व्यक्ति के शव जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित हो की अंत्येष्ठि संस्कार हेतु 2000/– की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।
- **(नियम 13) (3)** निःशक्त, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से रुपये 2000/– मंजूर किया जा सकेगा ।
- **(नियम 14) (1)** कर्मचारीवृंद की नियुक्ति (क) वृद्धाश्रम, (ख) विशेष शाला, (ग) छात्रावास के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा अवधारित दर के अनुसार पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु कलेक्टर अग्रसर हो सकेगा ।
- **नियम (19) (1) (ख)** जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत रकम, राज्य निराश्रित निधि में प्रति वर्ष जमा की जाएगी।

जिलों हेतु निराश्रित निधि के अनुमोदित बजट अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर राशि के व्यय हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे।

निराश्रित निधि के माध्यम से संचालित कार्यक्रम

- निराश्रितों के लिये आश्रमों की स्थापना, ऐसे निराश्रित जो फुटपाथ पर रात व्यतीत करते हो, उन्हें रात्रि गुजारने के लिये रैन बसेरा, दिवाकेन्द्र की स्थापना।
- निःशक्त बच्चों के लिये रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।
- निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार, प्रदर्शन, चलित इकाइयों की स्थापना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि।
- जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्रों का संचालन।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, 2008 का संचालन।

शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2016 अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के वृद्धजन, जिनके द्वारा 100 वर्ष की आयु पूर्ण की गई, उन वृद्धजनों का **शतायु सम्मान** किया गया।

रैन बसेरा

प्रदेश के 24 नगरीय निकायों यथा भोपाल में 11, ग्वालियर में 07, इन्दौर में 15, जबलपुर में 09, उज्जैन में 04, सागर में 02, मुरैना में 01, भिण्ड में 01, शिवपुरी में 01, गुना में 01, विदिशा में 01, मंदसौर में 01, नीमच में 01, दमोह में 01, छतरपुर में 01, छिन्दवाडा में 01, खण्डवा में 01, बुरहानपुर में 01, रतलाम में 02, देवास में 02, कटनी में 01, रीवा में 01, सिंगरौली में 01 एवं सतना में 02 इस प्रकार कुल 69 रैन बसेरों के निर्माण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति निराश्रित निधि से प्रदाय की गई। वर्तमान में समस्त 69 रैन बसेरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित है।

धार्मिक स्थल

वरिष्ठ नागरिकों के लिये, प्रमुख धार्मिक स्थलों यथा– अमरकंटक, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, नेमावर, सलकनपुर, रानगिर, पटनेश्वरधाम, एवं भादवामाता में रैन बसेरा निर्माण की कार्यवाही की गई।

डे–केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों के लिये दिन में समय व्यतीत करने हेतु मनोरंजन केन्द्र ''डे केयर सेंटर'' संचालन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। डे केयर सेंटर में कैरम, शतरंज, पठन–पाठन हेतु पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि रखी जाती हैं। इनका संचालन, स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायतों तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में 82 डे केयर सेंटर स्थापित होकर संचालित हैं। (डे–केयर सेंटर की सूची परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।)

डे–केयर सेंटर – नगर पालिका परिषद नागदा, उज्जैन

वृद्धाश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं संरक्षण हेतु वृद्ध व्यक्तियों के लिये मौलिक सुविधाएं जैसे–आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदाय करने की दृष्टि से गैर–सरकारी संगठन, पंचायतीराज संस्थाएं, स्थानीय निकायों के माध्यम से वृद्धावस्था के अनुकूल आश्रमों को प्रोत्साहित करके, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अशासकीय संस्थाओं को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रमों के संचालन के लिये म0प्र0 निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार अशासकीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान दिया जाता है। वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु मासिक व्यय के आधार पर वास्तविक व्यय अनुसार वित्तीय स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर को प्रदत्त हैं। प्रदेश में 81 वृद्धाश्रम संचालित किये जा रहे हैं। (वृद्धाश्रमों की सूची परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।)

प्रदेश में संचालित वृद्धाश्रम

वरिष्ठजन पार्क – जिला होशंगाबाद

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से लागू ।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 के द्वारा जारी ।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलो के 352 उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण गठित ।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रुप में पदाभिहित।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं ।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं ।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक सज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/– का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं ।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/– प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है ।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

- भरण पोषण अभिकरण 352
- अपीलीय अभिकरण 50
- योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए 10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया।

———

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्वजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 200/– केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 100/– (राज्यांश) कुल रू. 300/–
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 500/– (केन्द्रांश)

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	54159.00	40260.02	1579999

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से रुपये 300/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

80 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत राशि रुपये 500/–(केन्द्रांश) प्रतिमाह के दर से प्रदान किया जाता है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	39000.00	27967.42	959526

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत

निःशक्तता होना चाहिए, को भारत सरकार के मद से राशि रु0 300/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

80 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	6200.00	4157.56	112987

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है । यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है । योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/–की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	700.00	6574.86	32874

पेंशन योजनाएं : योजनाओं के नाम व पात्रता की शर्ते

क्रं.	योजना का नाम	लाभ (प्रतिमाह)	पात्रता की शर्ते
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रू. 300/–	• 06 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के BPL **निःशक्त व्यक्ति** जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को **'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना'।** • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।) • 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की BPL **विधवा महिला** । • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की BPL **परित्यक्तता महिला**। • 60 वर्ष या अधिक आयु के **निराश्रित वृद्ध।** • 60 वर्ष से अधिक आयु के **वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों** को पेंशन।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	रू. 300/– रू. 500/–	• 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL वृद्ध। • 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के BPL वृद्ध।
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रू. 300/–	• 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला।
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रू. 300/–	• 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हों।
5	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रू. 500/–	• आयकर दाता नहीं होना चाहिये। • आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। • दंपत्ति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये।

पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 के महत्वपूर्ण निर्णय

1. *शासन के आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2016 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दर राशि रुपये 150/– से बढ़ाकर रुपये 300/– प्रतिमाह की गई।*
2. *18 वर्ष से 59 वर्ष आयु तक के बीपीएल निःशक्तजनों को भी पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।*
3. *भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (60 वर्ष से 79 आयु के बीपीएल वृद्ध) में रू0 100/– राज्यांश की वृद्धि।*
4. *06 वर्ष से 18 वर्ष आयु श्रेणी के बीपीएल निःशक्तजनों को पेंशन के स्थान पर शिक्षा प्रोत्साहन के तहत सहायता।*
5. *वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों को राशि रुपये 300/– प्रतिमाह पेंशन प्रारंभ।*

राज्य के कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** योजना संचालित की जा रही है ।

पात्रता के मापदण्ड

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
3. 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
4. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
5. 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है को दी जाने वाली पेंशन अब **'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'** के नाम से दी जावेगी।
6. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।)
7. **वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी** जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।

पेंशन की दर

- रुपये 300/– प्रतिमाह

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	30947.10	20329.31	625252

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं है, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 500/– रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2017 तक)	हितग्राही
2016–2017	2250.00	1731.78	39318

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**'' 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

नवम्बर 2016 से योजनांतर्गत निम्न व्यवस्था प्रभावशील है :–

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17,000/– की राशि अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी।
- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/– (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000/–।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से अभी तक कुल 386103 कन्याओं के विवाह संपन्न कराये गये है।

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	45,251
2016-2017 (जनवरी 2017)	15436.81	8263.95	33,738

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है । योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 25,000/– प्रदान की जाती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत अब तक कुल 9398 कन्याओं के निकाह सम्पन्न कराये गये।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012–2013	200.00	260.90	1,766
2013–2014	800.00	474.60	2,579
2014–2015	200.00	123.25	1,248
2015–2016	500.00	381.31	2,139
2016–2017 (जनवरी 2017 तक)	900.00	303.28	1,666

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश में दिनाक 11.10.07 से प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत ऐसे समस्त खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हो तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं हो पात्र होगें।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार सुविधाएं/सहायता प्रदान की जा रही है:–

1. **प्रसूति सहायता :–** पंजीकृत मजदूर की पत्नी अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि, पितृत्व अवकाश के रुप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि तथा प्रसूति व्यय के लिये रु. 1000/– नगद राशि (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गत यह भुगतान नहीं किया जावेगा) प्रदान की जाती है। सहायता राशि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सीधे हितग्राही को उपलब्ध कराई जाती है।
2. **बीमा सहायता** :– आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राही का बीमा कराया जाता है।
3. **दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टी सहायता** :–पंजीबद्ध मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अन्त्येष्टी के लिये रुपये 3000/– की सहायता प्रदान की जाती है।

आम आदमी बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिनांक 2 अक्टूबर 2007 को भूमिहीन ग्रमीण मजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केवल भूमिहिन ग्रामीण मजदूरो के लिए है। इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे, बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होगा।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – रू0 30,000/–
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर– रू0 37,500/–
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – रू0 75,000/–

का बीमा लाभ दिया जाने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, उनकों प्रतिमाह रू0 100/– की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है ।

जनश्री बीमा योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण लोग, जो मध्यप्रदेश शासन की अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये जनश्री बीमा योजना 1–1–2009 से प्रारंभ की गई है।

इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – रू0 30,000/–
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर– रू0 37,500/–
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – रू0 75,000/–

का बीमा लाभ दिया जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, को प्रतिमाह रू0 100/– की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है।

अन्त्योदय मेला

आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम

प्रदेश में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को प्राप्त हो इस दृष्टि से समस्त जिलों में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 101 मेलों का आयोजन किया गया।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	मेले
2016–2017 (जनवरी 2017 तक)	1000.00	303.00	101

———

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार–प्रसार के माध्यम से नशा के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयो, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 2 से 8 अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह तथा 30 जनवरी संकल्प दिवस का आयोजन प्रदेश स्तर पर कराये गये हैं।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 305 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत् हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत, जिसके विरूद्व जनवरी 2017 तक रूपये 326.78 लाख का व्यय किया गया हैं।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाअें द्वारा इन्दौर, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, सीहोर, रीवा, भिण्ड, सीधी, बालाघाट, गुना, पन्ना, जबलपुर, विदिशा एवं खण्डवा में नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 16 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं। (सूची परिशिष्ट पांच पर है।)

कलापथक योजना

प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमो जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलो में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते है। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

पुरस्कार योजनाएं

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8. 2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक–पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे विकलांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रत व्यक्तियों, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रुप में राशि रूपये एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने की योजना है ।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रुपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रुपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ठ पुरस्कार योजना

विभाग अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिये प्रतिवर्ष "**सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार**" दिया जाता है। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार के लिये रुपये 50 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

———

मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2010 से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। जिसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की 06 सेवाओं को इस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	काम की समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**7.1 सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्यदिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30कार्य दिवस	कलेक्टर
2	**7.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब.अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
3	**7.3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	संभागायुक्त कलेक्टर
4	**7.4 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
5	**7.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
6	**7.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस 60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर

आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–60 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश की स्थापना वर्ष 1997 में की है। वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मानसेवी आयुक्त पदस्थ है।

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में निःशक्तजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जो प्रमुखतः निम्नानुसार है–

- निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों, उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का संरक्षण प्रदान करना।
- निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित मामलों/ परिवादों में संज्ञान लेकर न्याय निर्णयन पारित करना।
- निःशक्तजनों के कल्याण हेतु उत्तरदायी विभागों के साथ एडव्होकेसी बैठक कर, निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा कराना।
- प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के तहत् प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कोर्ट का आयोजन कर, निःशक्तजनों की समस्याओं/शिकायातों पर त्वरित न्याय निर्णयन करना।
- निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत् शासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं उपयोग किए जाने वाली निधियों की मॉनिटरिंग एवं अनुवीक्षण करना।

निःशक्तजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश के न्यायालय में 136 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए है। जिनमें सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

———————

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में श्री बालेन्दु शुक्ल, अध्यक्ष, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण के पद पर पदस्थ है। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं पर निम्न योजनायें संचालित है :–

1. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7 वीं और 8 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 200 रूपये तथा छात्राओं को 300 रूपये सालाना की छात्रृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में 175330 हितग्राही लाभांवित हुये।

2. स्वामी विवेकांनद प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 300 रूपये तथा छात्राओं को 400 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में 112902 हितग्राही लाभांवित हुये।

3. स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

शासकीय विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ग्यारहवीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 500 रूपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को 550 रूपये प्रतिवर्ष दी जाती है। छात्रवृत्ति की यह सुविधा सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवारों के छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में 37766 हितग्राही लाभांवित हुये।

4. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना

उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले और छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन छात्रों को 500 रूपये प्रतिमाह और छात्राओं को 550 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है। शिष्यवृत्ति की यह सुविधा उन छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में 109 हितग्राही लाभांवित हुये।

5. डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

योजना के तहत प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय में सामान्य निर्धन छात्र एवं छात्रा को 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना के तहत शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेण्टल, आयुष, कृषि, वेटनरी,उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण योजना

विद्यार्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने तथा सामान्य निर्धन और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सुविधा के उद्देश्य से शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

8. वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकिल वितरण योजना

योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली ऐसी सभी बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें पढ़ाई के लिये अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाना पड़ता है। इससे छात्राओं के बीच भेदभाव समाप्त और सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

9. सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना

योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग–1 का एक पद स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाने से संस्कृत भाषा का अध्यापन सुगम हो जावेगा।

10. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

योजना के तहत दुग्ध संघों के माध्यम से मिल्क रूट्स पर 10 हजार महिलाओं को गाय दी जावेगी है। योजना में प्रत्येक महिला को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाने के साथ ही गायों की खुराक दवाईयों और उत्पादित दूध के विपणन की व्यवस्था भी की जाती है।

11. माँ सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

योजना के अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा गारंटी दिये जाने बजट प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वार्षिक आय सीमा में वृद्धि

समेकित छात्रवृत्ति योजना अतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा में रू 54,000/– के स्थान पर रू. 1,00,000/– (एक लाख) की वृद्धि दिनांक 20.04.2016 से की गई।

———

मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने तथा राज्य शासन को ''समग्र पुनर्वास नीति'' का प्रारूप बनाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का दिनांक 5 फरवरी 2013 को गठन किया गया।

राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पाँच सदस्य मनोनीत किये गये। आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त (आई.ए.एस) श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी पदस्थ है।

आयोग द्वारा की गई कार्यवाही

- प्रदेश में अनेक जाति, भाषा आधारित संस्थायें एवं संगठन है। इसी तरह व्यवसाय आधारित संगठन भी है, पेंशनर क्लब एवं सामाजिक संगठन है। इनमें से अधिकांश संगठन ऐसे है जो राज्य शासन से आर्थिक सहायता भी नहीं लेते है। ये सभी संगठन अपने मूल उद्देश्यों के साथ ही अपने वरिष्ठ सदस्यों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे है। आयोग द्वारा इन्हें वृद्धजनों के हित में कार्य करने के लिये प्रेरित करने एवं इस सामाजिक सरोकार में संस्थाओं की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- मध्यप्रदेश में कुछ सामाजिक संस्थाओं ने उत्कृष्ठ कार्य किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम रीवा तथा श्री अनुराग चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को वर्ष 2016 में उत्कृष्ठ कार्य के लिये वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया।
- 08 नवंबर 2016 को डे–केयर सेंटरों का एक दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन प्रशासन एकादमी में संपन्न किया गया। वृद्धाश्रमों के प्रबंधकों के साथ एक दिवसीय सम्मेलन 20 दिसंबर 2016 को अकादमी में संपन्न किया गया।
- वृद्धाश्रमों के प्रबंधकों के साथ एक दिवसीय सम्मेलन में जिन वृद्धाश्रमों एवं प्रबंधको को सम्मानित किया गया।
- डे–केयर सेटर के साथ एक दिवसीय सम्मेलन में जिन डे–केयर सेंटर को सम्मानित किया गया।
- वरिष्ठजनों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हेतु आयोग द्वारा कुल 488 सिफारिशे 42 विभागों के लिये की गयी थी जिसमें 434 सिफारिशे मान्य की गई है।
- वृद्धजनों के संदर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा जारी निर्देशों की संकलन पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

———————

विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करते हुये, सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखते हुये, योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को **'संकल्प क्रमांक–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम'** पारित किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, निःशक्तजनों के साथ–साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि– पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा हैं।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्धेश्य

- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय–समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।
- राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागरिकों की जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागा द्वारा योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभ प्रदान किया जा रहा है –

- **समेकित छात्रवृत्ति (स्कूल शिक्षा विभाग)**
    - 1.48 करोड़ स्कूली छात्र–छा़त्राओं की प्रायवेट एवं सरकारी स्कूलों के साथ मैपिंग।
    - 85.27 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृत।
- **खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)**
    - 1.16 करोड़ परिवार व 5.43 करोड़ सदस्यों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है।
    - राशन हेतु ई–पात्रता पर्ची खाद्य सुरक्षा समग्र पोर्टल से जेनरेट।
    - जन्म एवं मृत्यु के पंजीयन के आधार पर ई–पात्रता पर्ची स्वतः अपडेट।
- **पेंशन योजना (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग)**
    - 33.77 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण।
    - पेंशन राशि का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा हैं।
    - पेंशन योजनाओं में पात्रता के आधार पर समग्र पोर्टल के माध्यम से **5,85,826 पेंशन हितग्राहियों** को कम सहायता राशि वाली पेंशन योजना से केन्द्र शासन की अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में **Auto Switch** किया गया है।
    - पोर्टल पर दर्ज प्रोफाईल के अनुसार प्रथम दृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची।
    - आनलाईन निःशुल्क आवेदन की सुविधा।

———

विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन हितग्राही (जनवरी 2017 की स्थिति)

सं. क्र.	जिला	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	मानसिक बहुविकलांग को आर्थिक सहायता	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	कुल
1	AGAR MALWA	19844	10788	926	3649	212	236	35655
2	ALIRAJPUR	9454	7329	1700	3391	175	65	22114
3	ANUPPUR	14810	12275	1631	7950	738	411	37815
4	ASHOK NAGAR	16184	10340	743	4895	519	113	32794
5	BALAGHAT	53920	50561	1568	13951	2927	3917	126844
6	BARWANI	40839	21901	2568	6691	1684	297	73980
7	BETUL	28599	19777	1871	10978	1455	720	63400
8	BHIND	15893	11262	1021	7703	1063	478	37420
9	BHOPAL	30156	21576	2270	15589	1469	240	71300
10	BURHANPUR	17466	14998	599	2809	579	427	36878
11	CHHATARPUR	32878	14666	1933	10820	1263	1093	62653
12	CHHINDWARA	36177	32036	1741	31672	1756	1480	104862
13	DAMOH	28302	22819	1771	14288	1192	380	68752
14	DATIA	13662	8790	794	5329	606	603	29784
15	DEWAS	32762	18082	2340	8206	1357	548	63295
16	DHAR	27409	27151	3120	9586	1724	287	69277
17	DINDORI	30526	14921	1624	4622	462	598	52753
18	GUNA	29398	12438	1057	9336	828	321	53378
19	GWALIOR	12475	10497	1154	19170	1588	290	45174
20	HARDA	7244	5769	999	3932	566	105	18615
21	HOSHANGABAD	24477	18377	3010	11405	2055	1111	60435
22	INDORE	17210	14349	1277	35084	2326	551	70797
23	JABALPUR	39529	35471	3546	17352	1848	979	98725
24	JHABUA	24417	13728	3424	3965	672	124	46330
25	KATNI	27754	22230	3972	7311	611	668	62546
26	KHANDWA	28574	19078	3129	13296	756	424	65257
27	KHARGONE	34837	22445	2420	17855	1677	773	80007
28	MANDLA	23660	22098	3267	12095	1318	1040	63478
29	MANDSAUR	28055	23016	2988	8092	1603	689	64443
30	MORENA	16325	11695	1230	10609	872	300	41031
31	NARSINGHPUR	40748	19047	3050	13334	1201	1312	78692
32	NEEMUCH	12812	12797	1169	5725	1105	450	34058
33	PANNA	40471	16333	1673	6853	625	917	66872
34	RAISEN	34342	18508	3067	12715	978	355	69965
35	RAJGARH	83318	23548	5515	17768	1422	1065	132636
36	RATLAM	33956	26327	2122	6657	612	1220	70894
37	REWA	80049	25119	3953	24416	1986	2555	138078
38	SAGAR	56634	37278	2708	28296	1626	1402	127944
39	SATNA	75440	31123	8498	23571	2170	1517	142319
40	SEHORE	42770	16498	3095	20607	1929	1383	86282
41	SEONI	25903	24268	1520	13354	1816	1760	68621
42	SHAHDOL	24174	19531	3623	11395	751	482	59956
43	SHAJAPUR	24081	11942	1280	8664	685	293	46945
44	SHEOPUR	10106	8233	743	6480	262	185	26009
45	SHIVPURI	31461	20600	1443	9841	586	820	64751
46	SIDHI	37540	13408	1817	17596	1546	587	72494
47	SINGRAULI	38742	11219	2850	10889	310	633	64643
48	TIKAMGARH	35525	16241	1226	20238	982	664	74876
49	UJJAIN	33378	28561	1133	16715	2311	1446	83544
50	UMARIA	19636	10085	1864	2333	188	288	34394
51	VIDISHA	36077	18397	945	16174	1234	716	73543
	TOTAL	1579999	959526	112987	625252	60226	39318	3377308

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

विधि विषयक कार्य

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्न अधिनियम/नियम प्रचलित हैं :–

अधिनियम	नियम
• अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम,1960
• मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम, 1977
• मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013
• निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997
• द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999	
• माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	मध्यप्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
• मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम–2010	

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जनवरी 2017 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
89	86	03

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त	आई.ए.एस.	1
2	संचालक, मिशन	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	उप संचालक तकनीकी	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	17
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	44
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	28
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	ज्येष्ट तांत्रिक सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान निम्न संवर्गो में कुल अधिकारी/ कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई ।

संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की गई	संवर्ग जिस पर पदोन्नति प्रदान की गई	पदोन्नत अधिकारी की संख्या
उप संचालक	संयुक्त संचालक	**0**
प्रशिक्षक	अधीक्षक	**0**
शिक्षक दृष्टि	व्याख्याता दृष्टि	**1**
सहायक वर्ग–3	सहायक वर्ग–2	**0**
भृत्य	सहायक वर्ग–3	**0**

नियुक्ति

वर्ष के दौरान चिंहाकित पदों पर निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष के दौरान निम्न पदों पर समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है ।

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
तृतीय श्रेणी	5
चतुर्थ श्रेणी	4

अनुकम्पा नियुक्ति

श्रेणी	संख्या
तृतीय श्रेणी	1
चतुर्थ श्रेणी	1

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2016 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	जनवरी 2016 अंत तक लंबित प्रकरण
शासन स्तर				
प्रथम श्रेणी	8	1	2	7
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	—	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—
तृतीय श्रेणी	1	1	—	2
चतुर्थ श्रेणी	1	—	1	—

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2016 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
163	**28**	**193**

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	जनवरी 2017 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
22	**28**	**10**	**40**

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2016 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	जनवरी 2017 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरूद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत/प्रस्तावित है।	अवमानना प्रकरणों की संख्या
8	**10**	**5**	**7**	**6**	**23**

मुख्यमंत्री जी की घोषणायें

वर्ष	कुल घोषणाएं	पूर्ण घोषणाओं की संख्या	लंबित घोषणाओं की संख्या
2016—17	**13**	**02**	**11**

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम

सामूहिक विवाह कार्यक्रम–दिनांक 22.4.2016

एलिम्को/भारत सरकार– कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय जिला भोपाल दिनांक 8.5.2016

दृष्टिबाधित निःशक्तजनों का सिंहस्थ भ्रमण उज्जैन दिनांक 19.5.2016

आसरा वृद्धाश्रम भोपाल के अंतःवासियों का सिंहस्थ भ्रमण उज्जैन दिनांक 20.5.2016

सांकेतिक भाषा (साईंन लेंग्वेज) का प्रशिक्षण दिनांक 3 से 13 मई 2016 तक

माननीय श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बैठक दिनांक 2 जून 2016

राष्ट्रीय न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 24 जून 2016

निःशक्तजनों हेतु यूनिवर्सल आई.डी. (UDID) कार्यशाला दिनांक 4 जुलाई 2016

आई.टी.आई. में प्रवेश दिनांक 25 से 26 जुलाई 2016

माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्रीजी द्वारा शासकीय दृष्टि एवं श्रवणबाधित विद्यालय भोपाल का भ्रमण दिनांक 17.9.2016

डे–केयर सेंटरों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन
दिनांक 08 नवम्बर 2016

निःशक्तजनों द्वारा कराटे का प्रदर्शन भोपाल
दिनांक 3.12.2016

निःशक्त परिचय सम्मेलन उज्जैन दिनांक 3.12.2016

दिव्यांगजनों हेतु विशेष शल्य चिकित्सा शिविर
जिला विदिशा दिनांक 14,15 एवं 16 दिसम्बर 2016

गरीब कल्याण की योजनाओं पर जन–जागरण तथा
प्रशिक्षण सम्मेलन दिनांक 4.12.2016

निःशक्त विवाह अंतर्गत प्रदाय सहायता राशि
दिनांक 4.12.2016

वृद्धजन कार्यशाला – दिनांक 20.12. 2016

निःशक्त रोजगार मेला – इंदौर दिनांक 13.1.2017

अशासकीय संस्था आरुषि भोपाल द्वारा आयोजित
दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कार रैली दिनांक 8.1.2017

विशेष उपलब्धियॉ– विभाग को विभिन्न वर्षों में प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार

क्रं.	वर्ष	पुरस्कार
1	2004	सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – भोपाल
2	2006	सर्वश्रेष्ठ संस्था – आशाग्राम ट्रस्ट बडवानी
3		सर्वश्रेष्ठ वाधारहित भवन –क्षेत्रीय विकलांग पुर्नवास केन्द्र भोपाल
4		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – जबलपुर
5	2007	सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल – सुश्री पूजा सुब्रहमण्यम भोपाल
6	2008	सर्वश्रेष्ठ जिला – उज्जैन
7		सर्वश्रेष्ठ संस्था – म0प्र0 विकलांग सहायता समीति उज्जैन
8		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – सिवनी
9		सर्वश्रेष्ठ सृजनशील निःशक्त – कुमारी क्षमा कुलश्रेष्ठ भोपाल
10		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – होशंगाबाद
11	2011	सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – ग्वालियर
12	2012	**सर्वश्रेष्ठ नियोजक–** म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
13	2013	**नेशनल ई–गवर्नेस अवार्ड (स्वर्ण)–** स्पर्श पोर्टल सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0
14		**सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार –** माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन तथा वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने हेतु
15	2014	**सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार –** निःशक्तजनों के सशक्तिकरण हेतु
16		**सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल–** डॉ. रोहित त्रिवेदी, भोपाल (दृष्टि बाधित), सुश्री राबिया खान, इंदौर (दृष्टि बाधित)
17		**द इंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज–** डॉ. दिव्यता गर्ग, भोपाल (दृष्टि बाधित)
18		**सर्वश्रेष्ठ बाधारहित वातावरण –** कलेक्टर ग्वालियर
19		**सर्वश्रेष्ठ जिला –** इंदौर
20		**स्कौच प्लेटिनम अवार्ड–** मध्यप्रदेश में संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समग्र पोर्टल के माध्यम से जरुरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचाने के अभिनव प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। वर्तमान में समग्र के जरिये समेकित छात्रवृत्ति,

		खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेन्टर में समग्र पोर्टल को प्रतिष्ठित प्लेटिनम अवार्ड दिया गया।
21	2015	**वयोश्रेष्ठ सम्मान का राष्ट्रीय पुरस्कार** – महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को डॉ. मनोहर विश्वनाथ भाले जिला देवास को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को वृद्धजनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु श्री कर्मवीर शर्मा सीईओ जिला पंचायत डिण्डोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
22		**श्री संकेत भोंडवे, कलेक्टर जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश** को विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की श्रेणी अंतर्गत निःशक्तजनों हेतु पुनर्वास सेवा प्रदान करने हेतु बेस्ट जिले का नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
23		**श्री गौरव गेरा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश** को बेस्ट एम्प्लायी एवं स्वनियोजित(मस्तिष्क पक्षाघात) श्रेणी के अंतर्गत नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
24		**मध्यक्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल, मध्यप्रदेश** को विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
25		**''समग्र पोर्टल''** को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिये वर्ष 2015–16 का **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार (रजत)** प्रदान किया गया।
26	2016	**राष्ट्रीय पुरस्कार** 'पुनर्वास सेवाएं प्रदाय करने हेतु सर्वोत्तम जिला'– जिला जबलपुर एवं झाबुआ, म.प्र.।
27		**राष्ट्रीय पुरस्कार** – 'वयोश्रेष्ठ सम्मान'– आयुक्त, नगर निगम रीवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, झाबुआ, मध्यप्रदेश
28		**सर्वश्रेष्ठ बाधारहित वातावरण** – कलेक्टर इंदौर।
29		**राष्ट्रीय पुरस्कार** 'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट अधिकारी' – श्री भरत सिंह गौर, अधीक्षक, राज्यकीय प्रौढ मूक बधिर परीक्षण संस्थान, जिला इंदौर।
30		**राष्ट्रीय पुरस्कार** 'दिव्यांग व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था'– श्री पंकज मारु, स्नेह नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र.।
31		**''म.प्र. स्टेट पेंशन पोर्टल''** को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिये वर्ष 2016–17 का **नेशनल ई–गवर्नेंस का उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण)** प्राप्त हुआ।

सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से 31 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक **3,86,103** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. इस तरह सामाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, निःशक्तजन, खेतिहर मजदूर, वृद्ध, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

विभागीय मुद्रित साहित्य

- विभागीय योजनाओं का संकलन।

परिशिष्ट एक

निःशक्त कल्याण के अर्न्तगत शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर(बालक/बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक/बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक/बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक/बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक/बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक/बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक/बालिका)

परिशिष्ट दो

निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र	जिला	संस्था का नाम
1	ग्वालियर	1–माधव अंध आश्रम झांसी रोड ग्वालियर
		2–म0प्र0 मूक बधिर कल्याण संस्थान आग्रे की गोठ ग्वालियर
2	शिवपुरी	3– मंगलम कोर्ट रोड शिवपुरी
3	देवास	4. म0प्र0 दृष्टि कल्याण संघ इंदौर की देवास 60 केंपिंग ग्राउण्ड उज्जैन रोड देवास
		5. मालवा कौसिल फॉर सोशल वर्क 6 एम0आई0जी0 जवाहर नगर देवास
4	रतलाम	6. जनचेतना परिषर एवं मंद मूक बधिर विद्यालय मांटेसरी स्कूल भवन स्टेडियम के पास रतलाम
5	उज्जैन	7. उज्जयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन 37 दुर्गा निवास माधव नगर उज्जैन
6	इंदौर	8. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ 33 बी0डी0 किला मैदान इंदौर
		9. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संगठन इंदौर
		10.महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ स्किम नं. 54 सत्यसांई स्कूल के पीछे ए0बी0 रोड इंदौर
		11 गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एन0जी0ओ0 तरूण पुष्कर के पास इंदौर
		12. मूक बधिर संगठन स्किम नंबर 71 सेक्टर की रणजीज हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर
		13. विकलांग कल्याण संघ एम0आर0 10 चन्द्रगुप्ता चौराहा इंदौर
		14. रोटरी पाल हेरि स्कूल स्किम नंबर 54 नर्मदा टंकी के पास इंदौर
		15. मूक बधिर विद्यालय एवं अंध शालाये 84/845 जीवन दास कांलोनी इंदौर
		16. महात्मा गांधी संस्थान बंगाली क्लब के पास बाल भवन इंदौर
		17. कुष्ठ सेवा संस्थान नंदा नगर इंदौर
7	धार	18. जिला रेडक्रास सोसायटी धार
8	झाबुआ	19. करूणा सदन रामपुर, विकास खण्ड रानीपुर जिला झाबुआ
		20. चन्द्र शेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र भावरा जिला झाबुआ
9	बडवानी	21. श्री कांता विकलांग ट्रस्ट झाकर पोस्ट निवाली जिला बडवानी
		22. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बडवानी
10	खण्डवा	23. श्रीमती सावत्रीबाई झंवर, सेवा न्यास खण्डवा
11	भोपाल	24. मेरियम सोसायटी फॉर द हियरिंग हैण्डीकेप्ड ई–6 अरेरा कांलोनी भोपाल
		25. मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हैण्डीकेप्ड ई–6 अरेरा कांलोनी भोपाल

		26. दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 हास्पिटल के पास भोपाल
		27. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा 2–4, 16 सांकेत नगर भोपाल
		28 दिग्दिर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान बी–292 समर्पण हास्पिटल के पास शाहपुरा भोपाल
		29. शुभम, विकलांग एवं समाज सेवा समिति मकान नंबर 11 नशेमन कम्पाउण्ड पैलेस रोड भोपाल
		30. सांई विकलांग अनाथ सेवा आश्रम, एवं प्रशिक्षण छात्रावास सी.टी.ओ. बैरागढ भोपाल
		31. महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम बैरागढ भोपाल
		32. नवजात विकलांगजन कल्याण समिति एम0आई0जी0 318 न्यू.सुभाष नगर भोपाल
12	विदिशा	33. सूरज निकेतन स्कूल एवं छात्रावास 88 नीमताल रोड शरण भवन विदिशा
13	बैतूल	34. दृष्टिहीनो की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पांढर जिला बैतूल
14	छतरपुर	35. प्रगतिशील विकलांग संसार छतरपुर
15	दमोह	36.अनंत विकलांग सेवा समिति दमोह
16	जबलपुर	37. विकलांग सेवा भारती, 321 तिलक वार्ड गलगला बैनर्जी भवन जबलपुर
		38. स्नेह निकेतन, जबलपुर स्कूल पोस्ट बाक्स स्कूल 43 गौरखपर थाने के पास जबलपुर
17	सिवनी	39. आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन, 116 वल्लभ भाई पटेल, डून्डा सिवनी
18	रीवा	40. नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय बिछिया तौपखाना रोड रीवा
19	सीधी	41. गुरूकूल संस्कूत समिति सॉई निवास जिला सीधी

———

परिशिष्ट तीन

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे–केयर सेंटर

क्र0	जिला	संख्या	संस्था का नाम
1	भोपाल	1	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई–4/10, अरेरा कालोनी, भोपाल
		2	श्रद्धेय वरिष्ठ जन कल्याण समिति, म0नं0 81, सर्वधर्म सी–सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल
		3	चित्रांश ह्युमन एण्ड वेलफेयर सोसायटी मकान नं0 16, श्री नगर कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल
2	सीहोर	4	नगर पालिका परिषद, सीहोर
3	राजगढ	5	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा जिला राजगढ
4	रायसेन	6	सियावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था, बेगमगंज, जिला रायसेन
		7	आर0डी0एस0एस0, सिलवानी
5	हरदा	8	अशा0 संस्था– पहल सामाजिक संस्था, टिमरनी, जिला हरदा द्वारा नगरीय निकाय हरदा एवं टिमरनी में संचालन
6	होशंगाबाद	9	श्री मैकलसुता शिक्षा समिति द्वारा संचालित ''वृद्धजन डे केयर सेंटर'' संजय नगर ग्वालटोली, जिला होशंगाबाद
		10	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत सांगाखेडाकलां जनपद पंचायत बाबई
		11	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत सुआखेडी जनपद पंचायत बाबई
		12	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत शुक्करवाडा फार्म जनपद पंचायत बाबई
		13	महोदव सुन्दरम, न्यास कालोनी, इटारसी, द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत मेहरागांव तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
		14	सरपंच ग्राम पंचायत सिंगानामा,द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत सिंगानामा जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद
		15	सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया, द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर ग्राम पंचायत नांदिया जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद
		16	सरपंच ग्राम पंचायत छीतापुरा, जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		17	सरपंच ग्राम पंचायत चौकीपुरा (सुखतवा) जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		18	स्व0 नर्मदाप्रसाद दुबे नशामुक्ति केन्द्र द्वारा संचालित डे–केयर सेंटर ग्राम पंचा0 पवारखेडा जन0पंचा0 होशंगाबाद
		19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पिपरिया, जिला होशंगाबाद द्वारा संचालित वृद्धजन डे–केयर सेंटर
		20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र सिवनी मालवा द्वारा संचालित वृद्धजन डे–केयर सेंटर
		21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र बानापुरा (सिवनी मालवा) द्वारा संचालित वृद्धजन डे–केयर सेंटर
		22	सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर, जनपद पंचायत सिवनी मालवा द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
7	विदिशा	23	ज्ञान सरोवर शिक्षा समिति, शेरपुरा जिला विदिशा
8	ग्वालियर	24	वरिष्ठ नागरिक संस्थान ग्वालियर द्वारा संचालित ''कस्तूरबा गॉधी विश्रांति भवन न्यास, ग्वालियर
9	गुना	25	श्री साईनाथ सेवा सदन समिति नानाखेडी गुना
10	अशोकनगर	26	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा अशोकनगर

क्र0	जिला	संख्या	संस्था का नाम
11	शिवपुरी	27	अशा.संस्था मंगलम–शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
		28	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जिला शिवपुरी द्वारा संचालित
		29	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट ''फीड'' गांधी कालोनी, म0नं0 99, शिवपुरी
12	दतिया	30	संस्कार सोशल वेलफेयर सोसायटी, झॉसी–दतिया, विवाह वाटिका के पीछे, सीता सागर रोड, दतिया
13	भिण्ड	31	निराश्रित निधि से संचालित
14	मुरैना	32	वरिष्ठ नागरिक सह पेंशन संघ, मुरैना
		33	ईश्वर सिंह शिक्षा प्रसार समिति, किशोरगढ़, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना
15	श्योपुर	34	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, श्योपुर
16	इंदौर	35	नगर निगम, इंदौर
		36	ग्रामीण उद्यमिता एवं जनकल्याण समिति, विसनावत, इंदौर
		37	सनातन चेरेटेबिल टस्ट इंदौर
		38	''अमराई'' वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ, ई, एफ–2, स्कीम नं0 54, पॉवर हाऊस के सामने, जिला इंदौर
17	खरगौन	39	नगर पालिका खरगोन
		40	नगर पालिका सनावद
		41	नगर पालिका बड़वाह
18	खंडवा	42	आस्था वेलफेयर सोसायटी, स्टेशन रोड, खंडवा (ज0पं0 स्तर पर संचालित)
		43	सोसायटी फार मेक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर एवं रूरल टेक्नालाजी, खंडवा (शहरी क्षेत्र में)
		44	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर बलडी (किल्लौद))
		45	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर हरसूद)
		46	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खालवा)
		47	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पुनासा)
		48	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर छैगांवमाखन)
		49	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पंधाना)
		50	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खण्डवा)
19	झाबुआ	51	नगर पालिका–झाबुआ वृद्धाश्रम मंगल भवन, जिला झाबुआ
20	उज्जैन	52	अपंग सेवाश्रम महाकाल घाटी उज्जैन
		53	सहस्त्र औदिच्य समाज वरिष्ठजन समिति, के–7, एम0आई0जी0 ऋषिनगर, उज्जैन
21	रतलाम	54	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम वार्ड नं0 14 सामुहिक भवन
22	देवास	55	वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास
23	मंदसौर	56	सेवा निवृत्त एवं पेंशनर महासंघ, जिला मंदसौर
		57	ग्राम बालागुडा, जनपद पंचायत मल्हारगढ

क्र0	जिला	संख्या	संस्था का नाम
24	जबलपुर	58	वरिष्ठ सेवा केन्द्र डे केयर सेंटर छावनी मंडल केंट द्वारा संचालित ''छावनी परिषद् जिला जबलपुर''
		59	पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन डे केयर सेंटर 1291 नेपियर टाउन जबलपुर
25	सिवनी	60	नगर पालिका परिषद जिला सिवनी
26	छिंदवाडा	61	नगर पालिका परिषद, छिंदवाडा
27	नरसिंहपुर	62	नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर
28	डिण्डोरी	63	मु.न.पा.अधिकारी नगर परिषद डिण्डौरी द्वारा ''ज्ञानोदय वाचनालय भवन डिण्डौरी
29	सागर	64	आनंद आश्रम सागर
		65	रंगखोज परिषद सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, फननुसा कुंआ, तीनबत्ती, सागर
30	छतरपुर	66	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका द्वारा नगर पंचायत छतरपुर में संचालित
		67	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खजुराहो द्वारा नगर पंचायत खजुराहो में संचालित
31	टीकमगढ	68	भारतीय रेडक्रास सोसॉयटी, टीकमगढ द्वारा संचालित
32	रीवा	69	भारतीय रेडक्रास सोसॉयटी, रीवा
		70	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा
33	सिंगरौली	71	जय मॉ कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली
34	उमरिया	72	नगर पंचायत–चांदिया
		73	नगर पालिका पाली
		74	नगर पालिका उमरिया
35	सीधी	75	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र0 02 सीधी के बगल में
36	पन्ना	76	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा नगर पालिका परिक्षेत्र इन्द्रपुरी कालोनी जिला पन्ना
37	आगरमालवा	77	मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसियेशन जिला आगर (मालवा) द्वारा संचालित
38	बुरहानपुर	78	नगर पालिका निगम बुरहानपुर के माध्यम से रैन बसेरा में संचालित
39	मंडला	79	नगर पालिका परिषद् मंडला द्वारा ''महात्मा गॉधी स्टेडियम भवन में'' संचालित
40	दमोह	80	अशा. संस्था– वीणा शिक्षण समित दमोह के माध्यम से विभागीय वृद्धाश्रम भवन के एक कक्ष में'' संचालित
41	बालाघाट	81	नगर पालिका बालाघाट द्वारा संचालित
42	बैतूल	82	वरिष्ठ नागरिक संगठन बैतूल द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत आर्यपुरा टिकारी जिला बैतूल मे संचालित

.....

परिशिष्ट चार

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्र0	जिले का नाम	सस्थाओं की संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	1	गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वृद्धाश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल ''आसरा''वृद्धजन सेवा केन्द्र
		2	सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल,नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं0–2, ''आनंदधाम वृद्धाश्रम''
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4	श्री विवेकानंद धर्मार्थ न्यास द्वारा संचालित ''संत आरोग्य धाम विवेकानंद नगर, रजत नगर के पीछे, सोनागिरी, भोपाल
		5	अपना घर वृद्धश्रम, बी–4–79, आई0आई0टी0 कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल
		6	ऑल पिपुल्स डेव्हलपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मकान नं0 –75–76/3/1, हनुमान नगर, जाटखेडी, दिव्यवाणी परिसर, पो0आ0 मिसरोद, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म0प्र0)
2	होशंगाबाद	7	मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, बस स्टेण्ड, पिपरिया – जिला होशंगाबाद
		8	अशा.संस्था न्यू शिवम व्यवसायिक प्रशिक्षण युवती मंडल द्वारा संचालित ''आसरा वृद्धाश्रम'' वान्या ढावा के सामने बुधनी रोड, जिला होशंगाबाद
		9	महोदव सुन्दरम जनकल्याण शिक्षण समिति, मुस्कान परिसर, न्यास कालोनी, श्रीजी कृपा गऊशाला, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म0प्र0)
3	राजगढ	10	अशा.संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र ''आशाधाम वृद्धाश्रम'' जिला राजगढ
4	रायसेन	11	अशा.संस्था आर.डी.एस.एस.,सिलवानी द्वारा संचालित महात्मा गांधी वृद्धाश्रम, जिला रायसेन
5	बैतूल	12	अशा.संस्था विशाल सतपुडा उत्थान समिति द्वारा संचालित ''मातोश्री शिशु–वृद्धजन सेवाधाम'' ग्राम उडदन, पोस्ट बाक्स नं. 27–भारत भारती जिला– बैतूल
6	विदिशा	13	अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित ''श्री हरि वृद्धाश्रम'' स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो–रूम के पास, जिला विदिशा (केन्द्रीय अनुदान)
7	हरदा	14	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय वृद्धाश्रम भवन जिला पंचायत के सामने, जिला हरदा
8	सीहोर	15	अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित संकल्प वृद्धाश्रम जिला सीहोर
9	ग्वालियर	16	अशा.सस्था आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोतीलाल मिल, बिरलानगर, जिला ग्वालियर
		17	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर , लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		18	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के–48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
		19	वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, म0नं0 93 लक्ष्मीबाई कालोनी, पड़ाव, जिला ग्वालियर
		20	सरस्वती शक्तिपीठ शिक्षा समिति, 59, विवेक नगर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर
10	श्योपुर	21	अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर
		22	अशा0संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड इन्वायरमेंट, एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) विजयपुर, जिला श्योपुर

क्र0	जिले का नाम	सस्थाओं की संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
11	गुना	23	अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, ''अपना घर वृद्धाश्रम, नानाखेडी, जिला– गुना
12	भिण्ड	24	अशा0 संस्था– मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नं0 2 जमना रोड, जिला भिण्ड (मुख्यालय के–48 गांधी नगर जिला ग्वालियर द्वारा संचालित)
		25	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह0 लहार, जिला भिण्ड
		26	श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड
		27	गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
13	शिवपुरी	28	अशा.संस्था मंगलम–शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
14	मुरैना	29	कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
15	दतिया	30	अशासकीय संस्था प्राकृतिक चिकित्सा एवं महाविद्यालय समिति, गुरूनानक कालोनी, जिला दतिया
16	अशोकनगर	31	अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड,मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
17	इन्दौर	32	अशा0संस्था कल्याण मित्र समिति (आस्था वृद्धाश्रम) समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिलीा इन्दौर
		33	अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान (केन्द्रीय अनुदान से संचालित) जिला इंदौर
		34	अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर
		35	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर
18	झाबुआ	36	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, रंगपुरा, जिला झाबुआ
19	अलीराजपुर	37	मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संचालित नगरीय क्षेत्रीय वृद्धाश्रम अलीराजपुर
20	धार	38	भारतीय रेडक्रास सोसायटी–धार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, इंदौर नाका, जिला धार
21	बुरहानपुर	39	अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जिला बुरहानपुर
22	खरगौन	40	आनंद बसेरा वृद्धाश्रम, नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन
		41	आशा निकेतन वृद्धाश्रम, खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन, म0प्र0
23	बडवानी	42	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला बडवानी
24	खण्डवा	43	अशा.संस्था श्री वैष्णव वृद्धाश्रम आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर में संचालित वृद्धाश्रम जिला– खण्डवा,
		44	आस्था वेलफेयर सोसायटी, 222 स्टेशन रोड, इन्द्रप्रस्थ कॉम्पलेक्स,खण्डवा
25	उज्जैन	45	अशा.संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ''सेवाधाम वृद्धाश्रम'' ग्राम अम्बोदिया तह0 घटिया, जिला– उज्जैन
26	मंदसौर	46	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम– रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
27	देवास	47	जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित ''बसेरा वृद्धाश्रम'' राजोदा रोड, जिला देवास मध्यप्रदेश।
28	रतलाम	48	भारतीय रेडक्रास सोसायटी,बिरयाखेडी जिला रतलाम
29	नीमच	49	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच
30	सागर	50	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित ''आनंद वृद्धाश्रम'' खुरई जिला सागर, म0प्र0
		51	गोपाल सेवा वृद्धाश्रम, गढ़ाकोटा, जिला सागर देव सर्वोदय समिति, वल्लभ नगर वार्ड, जिला सागर द्वारा संचालित
		52	जनपद पंचायत रहली जिला सागर

क्र0	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
		53	भारत भारती शोध संस्थान, रजौआ, तहसील सागर, जिला सागर
31	दमोह	54	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह
		55	सचेतन विकास समिति, 486 ब्यौहार बाग, जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर शाखा स्व0 शोभालाल पटेरिया वृद्धाश्रम, ग्राम हटरी, जिला दमोह
32	छतरपुर	56	अशा.संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		57	अशा.संस्था–मां भगवती महिला मंडल,घुवारा, तहसील बडामलहरा,जिला छतरपुर
33	टीकमगढ	58	अशा0 संस्था– आर0एस0 शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित ''श्री रामराजा वृद्धाश्रम'' लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, जिला टिकमगढ
34	**पन्ना**	59	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला पन्ना
		60	श्री राम असहायजन चेरिटेबिल सोसॉयटी, वार्ड क्रमांक 4, कोठी, अजयगढ, जिला पन्ना
35	जबलपुर	61	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
		62	मिशनरीश ऑफ चारिटी मदर टेरेसास आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, कॉचघर, जबलपुर 482001
36	छिन्दवाडा	63	नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित ''गोधुली वृद्धाश्रम'' लोनियाकरबल, जिला छिन्दवाडा
37	मण्डला	64	भारतीय रेडक्रास सोसयाटी, जिला मण्डला
38	डिण्डौरी	65	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला डिण्डौरी
39	नरसिंहपुर	66	आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति,''जगतगुरू शंकराचार्य वृद्धाश्रम'' झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला–नरसिंहपुर
40	कटनी	67	अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी ''बच्चन नायक वृद्धाश्रम, ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी
41	बालाघाट	68	सहारा वृद्धाश्रम, जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
42	सिवनी	69	अशा.संस्था नूतन महिला कल्याण समिति, काली चौक जिला सिवनी
43	रीवा	70	अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगांव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
		71	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, पुनर्वास भवन, सिविल लाइन, झिरिया, जिला–रीवा
44	सीधी	72	गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, गोपालदास आश्रम, मणिकूट सीधी, जिला– सीधी
45	सतना	73	प्रमोदवन आनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, (कलेक्टर द्वारा अधिगृहित) सतना वृद्धाश्रम
		74	मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, ,मैहर, जिला–सतना
		75	''चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम'' डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		76	शिव शक्ति शिक्षा समिति, गंजास, ज0पं0 रामनगर जिला सतना
		77	विनायक एजुकेशन सोसायटी, पौराणिकटोला, सिविल लाइन, जिला सतना
46	शहडोल	78	अशा.सस्था–भारत विकास परिषद द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, कल्याणपुर, जिला शहडोल
47	सिंगरौली	79	जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, वि0खंड0 देवसर, जिला सिंगरौली
48	अनुपपूर	80	कल्याण वृद्धाश्रम ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनुपपुर द्वारा संचालित सोनांचल सेवा समिति (वर्तमान में शासन द्वारा संचालित)
49	**उमरिया**	81	अमरनाथ पाठक वृद्धाश्रम सेवा संस्थान समिति वार्ड न0–1 धौरई, बिरसिंहपुर–पाली, उमरिया (म0प्र0)

परिशिष्ट पांच

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र

क्र	जिला	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर (आर्शीवाद नशामुक्ति केन्द्र) मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर जिला इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन (जागृति नशामुक्ति केन्द्र) नगर निगम कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्री गंज, जिला उज्जैन
3	ग्वालियर	असीम ज्योति सांस्कृतिक शिक्षा परिषद् ग्वालियर (आर.एन.नशामुक्ति केन्द्र) किरार प्लाजा रूद्र मार्केट के पास फोर्ट रोड़ ग्वालियर
4	ग्वालियर	गुरुतेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर,(नवजीवन नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) अर्नेजा भवन, नौगजा रोड, शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर
5	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच (नशामुक्ति केन्द्र) ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
6	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प (नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) ''यशोदा कुंज'' कस्बा सीहोर जिला सीहोर
7	रीवा	निवेदिता समाज कल्याण समिति रीवा (निवेदिता नशामुक्ति केन्द्र) सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवां जिला रीवां
8	सीधी	अभिव्यक्ति कला विकास समिति सीधी (अभिव्यक्ति नशामुक्ति केन्द्र) मडवास रोड टी0सी0पी0सी0 के पीछे केदार शुक्ला आवास रोड सीधी जिला सीधी
9	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल (नव ज्योति नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) एम0आई0जी0–42, अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
10	भोपाल	शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति भोपाल, जीवन ज्योति नशामुक्ति केन्द्र एल.आई.जी. 26 हर्षवर्धन नगर भोपाल
11	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
12	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् पुराना पावर हाउस के पास पन्ना जिला पन्ना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
13	गुना	शिवांगी एज्यूकेशन एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट सोसाइटी हनुमान कालोनी गुना जिला गुना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
14	विदिशा	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र विदिशा
15	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड (नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र)
16	खण्डवा	सोसायटी फार मेग्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा

संपर्क सूत्र:

श्रीमती नीलम शमी राव (आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय
1250, तुलसी नगर भोपाल, म.प्र.।
फोन नम्बरः 0755–2556916
ई–मेल आई.डी.: dpswbpl@nic.in

श्री रघुराज एम.आर. (आई.ए.एस.)
मिशन संचालक,
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसी नगर भोपाल, म.प्र.।
फोन नम्बरः 0755–2558391
ई–मेल आई.डी.: md.samagra@mp.gov.in

संचालनालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी				
क्रं.	नाम	पदनाम	संपर्क सूत्र	ई–मेल
1.	सुश्री गीता कामठे	प्र. अपर संचालक	0755–2550908 मो. 9893421572	gita.kamthe@mp.gov.in
2.	सुश्री रजनी शुक्ला	संयुक्त संचालक, (वित्त)	0755–2556700 मो. 9425109447	dpswbpl@nic.in
3.	श्री मनोज बाथम	उप संचालक, (सामाजिक सहायता)	0755–2550895 मो. 9425660832	manojbatham.sj@mp.gov.in
4.	श्रीमती विमला राय	उप संचालक, (नशामुक्ति)	0755–2558576 मो. 9424086117	vimla.rai@mp.gov.in
5.	श्री आलोक शर्मा	उप संचालक, (निःशक्त कल्याण)	0755–2574938 मो. 9303107667	aloksharma.sj@mp.gov.in
7.	सुश्री संध्या आंयगर	उप–संचालक, (न्यायालय/सामान्य)	0755–2558834 मो. 9425365447	siyengar.sj@mp.gov.in
8.	श्रीमती सुरभि तिवारी	उप संचालक (सुधारात्मक सेवाएं)	0755–2576325 मो. 8889609355	dpswbpl@nic.in
9.	श्री अरूण जोशी	सहायक संचालक	मो.9893542347	joshi.arun@mp.gov.in
10.	श्री दीपक चौरसे	सहायक संचालक	मो. 9993158125	deepak.chourse@mp.gov.in
11.	श्री बलवान शाह उइके	सहायक संचालक	मो. 9893809245	bs.uikey@mp.gov.in
12.	श्रीमती शारदा गौड़	सहायक संचालक	मो. 9977817676	sharda.goud@mp.gov.in
13	श्री बी.एल.कौल	कलापथक अधिकारी	मो. 9111341708	biharilal.kol@mp.gov.in
14	श्री महेन्द्र त्यागी	प्रोग्रामर	0755–2555700 मो. 9200545637	mahendra.tyagi@mp.gov.in
15	श्री सुमित ब्रम्हैया	प्रबंधक, लोकसेवा	0755–2558396 9752395999	Sumit.bramhaiya@mp.gov.in
14	कु. निरुपमा जोशी	सहायक प्रोग्रामर	0755–2555700	mdcmsssm@gmail.com
15	श्री लक्ष्मण कहार	समग्र संयोजक	9424448050	laxman.kahar@mp.gov.in
16	श्री गोपाल दांगी	समग्र संयोजक	9425024738	gopal.dangi@mp.gov.in

जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाईल	ईमेल	समग्र संयोजक	मोबाईल
1.	***भोपाल***	**श्री मनोज तिवारी**	***0755***	***2540865***	9425021526	pswbho@mp.nic.in,	**श्री पंकज विश्वकर्मा**	9993312182
2.	सीहोर	श्री सुनील शर्मा,	07562	227039	9752405244	pswseh@mp.nic.in,		
3.	रायसेन	प्रभारी	07482	222052		pswrai@mp.nic.in,	श्री नजीम अली	9302807241
4.	राजगढ़	श्री नवीन धुर्वे,	07372	255259	8989156750	pswraj@mp.nic.in,	श्री बालचन्द्र राठौर	9617647552
5.	विदिशा	श्री भूपेश गुप्ता	07592	234272	9425426728	ddsjvid@mp.gov.in,	श्री संजय कुमार	9993966443
6.	**होशंगाबाद**	श्री कमलेश सिंह	**07574**	**252283**	9424429944	pswhos@mp.nic.in,	**श्री अमित चौरे**	8982672712
7.	बैतूल	श्रीमती प्रमिला वाईकर	07141	234368	9425688379	ddsjbtl@gmail.com,		
8.	हरदा	श्री टी.के.पाण्डे	07577	225193	9977678832	pswhar@mp.nic.in,	श्री अभिषेक साहू	9039816868
9.	***इन्दौर***	***श्रीमती राजश्री राय***	***0731***	***2367214***	9425140026	pswind@mp.nic.in,	***श्री गिरधारीलाल***	9977271522
10.	धार	श्री प्रीतिबाला सस्ते	07292	235810	9407401558	ddsjdhar@gmail.com,	श्री दिनेश चौधरी	9993679457
11.	खरगौन	श्री रमेश कुमार सिंह	07282	235019	9407401885	pswkhr@mp.nic.in,	श्री विकास जोशी	9977933588
12.	खण्डवा	श्री *बी.सी. जैन*	0733	2223229	9425140026	pswkhd@mp.nic.in,	श्री बाबू पचौरे	9424524999
13.	बड़वानी	श्री एस.एस. मंडलोई	07290	222801	9425436606	pswbar@mp.nic.in,	श्री नागर	9993348348
14.	बुरहानपुर	श्रीमती शैली कनेश	07325	242158	9425064030	ddsw_bpr@rediffmail.com,	श्री विजय	9754945322
15.	झाबुआ	श्री सैयद अशफक	07392	244285	9425948788	pswjha@mp.nic.in,		
16	अलीराजपुर	श्री मगन सिंह कनेश			9826444657	ceozp.alirajpur@gmail.com		
17.	***उज्जैन***	**श्री महेश पाण्डे**	**0734**	**2510515**	9425188547	pswujj@mp.nic.in,	**श्री अनिल शर्मा**	8656837783
18.	देवास	श्री राजेश कामदार	07272	254928	9893789406	pswdew@mp.nic.in,		
19.	शाजापुर	श्री हजारीलाल वर्मा	07364	226783	9425038653	pswshj@mp.nic.in,	श्री नरेन्द्र तिवारी	9827809595
20.	रतलाम	श्री अनिल भाना	07412	270428	9826083639	ddsjrat@mp.gov.in,	श्री जयंत सेठिया	9009923588
21.	मंदसौर	डॉ0 जे.के.जैन	07422	235203	9826458277	pswmas@mp.nic.in,	श्री मनोहर प्रजापति	9617977184
22.	नीमच	श्रीमती वंदना मेहरा	07423	257053	9407108808	psjnee@mp.gov.in,	श्री डाडमचन्द्र पाटीदार	9981069696
23.	आगर मा.	डॉ0 सुनील चौहान			9826036299	ddsj.agar@mp.gov.in,		
24.	***ग्वालियर***	***श्री* सुरेशबाबू कबीरपंथी**	**0751**	***2346967***	9425127623	pswgwa@mp.nic.in,	***श्री मनीष कौशिक***	9617807700
25.	शिवपुरी	श्री मनोज बावरा	07492	233640	8827159710	pswshi@mp.nic.in,	श्री पवन शर्मा	9425748281
26.	गुना	श्री सुरेश भदोरिया	07542	252202	7415368842	pswgun@mp.nic.in,		
27.	दतिया	श्री धनंजय मिश्रा	07522	237259	9425831886	ddsjdatia@gmail.com,	श्री नरेन्द्र दुबे	9584918102
28.	मुरैना	श्री विजय चौरसिया	07532	226990	9826385520	pswmor@mp.nic.in,	श्री दिनेश	9993416688
29.	भिण्ड	श्री अनुज रोहितगी	07534	242568	9425470080	ddpbhind.123@gmail.com,	श्री प्रमोद परिहार	9770448474
30.	श्योपुर	श्री धीरेश श्रीवास्तव	07530	220572	9926883521	pswseo@nic.in,		
31.	अशोकनगर	श्री आशाराम	07543	222461	9407280192	ddpashoknagar@gmail.com,		
32.	***सागर***	**श्री सी.एल. पंथारी**	**07582**	***223524***	8878163784	pswsag@mp.nic.in,	***श्री अमित नेमा***	9303006700
33.	दमोह	श्री सी.पी. पटेल	07812	222687	9826451977	pswdam@mp.nic.in,	श्री विनित नामदेव	7415414234
34.	पन्ना	श्री अशोक चतुर्वेदी	07732	252058	9424672972	pswpan@mp.nic.in,	श्री अबूबकर मोहम्मद	8878096363
35.	छतरपुर	श्री डी.पी. द्विवेदी	07682	246517	9425473592	ddpchhatarpur@gmail.com,		
36.	टीकमगढ़	श्री आर. के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@mp.nic.in,	श्री मनीष सेन	9630836500
37.	***जबलपुर***	***श्री* तीरथसिंह मरावी**	***0761***	***2625256***	9425383730	pswjab@mp.nic.in,	***श्री कैलाश पटेल***	9425647040
38.	नरसिंहपुर	प्रभारी	07792	230412		pswnar@mp.nic.in,	श्री छत्रपाल मेहरा	9424303587
39.	छिन्दवाड़ा	श्री के.एल. बरडे	07162	243426	9301413033	pswchi@mp.nic.in,	श्री मोहनीष कहार	8109409188
40.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in,	श्री अभिषेक कुमार	9827997941
41.	मण्डला	श्री अमित सिंह	07642	223560	9425168815	pswmal@mp.nic.in,		
42.	बालाघाट	श्री एस. पी. सिंह	07632	240281	7697958161	pswbal-mp@mp.nic.in,	श्री लक्ष्मीचन्द बहेश्वर	9713675365
43.	डिण्डोरी	श्री रोहित सिंह	07644	234841	7089598600	pswdin@mp.nic.in,	श्री राहुल शर्मा	942585475
44.	कटनी	श्री गौरव पुष्प	07622	221250	9981091500	pswkat@mp.nic.in,	श्री अमित	9753667762
45.	***रीवा***	***श्रीमती* सुचिता तिर्की**	***07662***	***254095***	9893860721	pswrew@mp.nic.in,	***श्री मिंगेन्द्र***	9755137444
46.	सतना	श्री दीपक वैद्य	07672	224391	9907086908	ddsjsatna@gmail.com,		
47.	सीधी	प्रभारी	07822	250282		pswsid@mp.nic.in,	श्री राजेश कुमार	9425161496
48.	सिंगरोली	श्री डी.एस. राठौर			9009304955	ceozpsingrauli@gmail.com,		
49.	**शहडोल**	**श्री संतोष चौधरी**	**07652**	**245209**	9009706059	pswshd@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद तस्बीन	9754945322
50.	उमरिया	श्री अवधेश सिंह	07653	223027	9179640022	ddsjuma@gmail.com,	श्री राजाराम अहिरवार	9617524184
51.	अनूपपुर	श्री पी.आर. टांडिया	07659	222699	9425359649	psjanu@mp.gov.in,		